

  
 सत्यमेव जयते

**दिल्ली राजपत्र**  
**Delhi Gazette**

असाधारण  
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 427]	दिल्ली, शुक्रवार नवम्बर 24, 2017/अग्रहायण 3, 1939	[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 349
No. 427]	DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 24, 2017/AGRAHAYANA 3, 1939	[N.C.T.D. No. 349

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 23 नवम्बर, 2017

सं. 48/2017-राज्य कर

**सं. फा. 3 (42)/वित्त(राजस्व-1)/2017-2018/डीएस-VI/746.**—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में सूचीबद्ध माल की पूर्तियों को समझे गए निर्यातों के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात्,—

सारणी

क्रम सं.	पूर्ति का वर्णन
(1)	(2)
1	अग्रिम प्राधिकार के प्रति रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल की पूर्ति
2	निर्यात संवर्धन पूंजी माल प्राधिकार के प्रति रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा पूंजी माल की पूर्ति
3	निर्यातान्मुख यूनिट को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल की पूर्ति
4	अग्रिम प्राधिकार के प्रति अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 (यथासंशोधित) में विनिर्दिष्ट किसी बैंक या पब्लिक सैक्टर उपक्रम द्वारा स्वर्ण की पूर्ति

**स्पष्टीकरण :-**

इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, --

1. "अग्रिम प्राधिकार" से आयात के लिए या भौतिक निर्यातों के लिए पूर्व आयात आधार पर इनपुट के घरेलू उपापन के लिए विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के अध्याय 4 के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा जारी प्राधिकार अभिप्रेत है
2. निर्यात संवर्धन पूंजी माल प्राधिकार से भौतिक निर्यातों के लिए पूंजी माल के लिए आयात के लिए विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के अध्याय 5 के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा जारी प्राधिकार अभिप्रेत है
3. "निर्यातोन्मुख यूनिट" से विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के अध्याय 6 के उपबंधों के अनुसार अनुमोदित निर्यातोन्मुख यूनिट या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट अभिप्रेत है।

यह अधिसूचना 18 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर  
ए. के. सिंह, उप-सचिव- VI ( वित्त)

**FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT  
NOTIFICATION**

Delhi, the 23rd November, 2017

**No.48/2017–State Tax**

**No. F. 3(42)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/746.**—In exercise of the powers conferred by section 147 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies the supplies of goods listed in column (2) of the Table below as deemed exports, namely:—

**TABLE**

S.No.	Description of supply
(1)	(2)
1.	Supply of goods by a registered person against Advance Authorisation
2.	Supply of capital goods by a registered person against Export Promotion Capital Goods Authorisation
3.	Supply of goods by a registered person to Export Oriented Unit
4.	Supply of gold by a bank or Public Sector Undertaking specified in the notification No. 50/2017-Customs, dated the 30 <sup>th</sup> June, 2017 (as amended) against Advance Authorisation.

**Explanation -**

For the purposes of this notification, –

1. "Advance Authorisation" means an authorisation issued by the Director General of Foreign Trade under Chapter 4 of the Foreign Trade Policy, 2015-20 for import or domestic procurement of inputs on pre-import basis for physical exports.
2. Export Promotion Capital Goods Authorisation means an authorisation issued by the Director General of Foreign Trade under Chapter 5 of the Foreign Trade Policy, 2015-20 for import of capital goods for physical exports.
3. "Export Oriented Unit" means an Export Oriented Unit or Electronic Hardware Technology Park Unit or Software Technology Park Unit or Bio-Technology Park Unit approved in accordance with the provisions of Chapter 6 of the Foreign Trade Policy, 2015-20.

This notification shall be deemed to have come into force from the 18th day of October, 2017.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)